नगर निगम करनाल

"नगर निगम, करनाल के दो पार्किंग स्थलों को एक वर्ष की समयावधि के लिए किराये पर देने के लिए नियम व शर्तें"

1. इच्छुक बोलीदाता को बोली से पूर्व अपने पैन कार्ड की प्रति, ***GST*** नंबर की प्रति, आधार कार्ड की प्रति नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो तथा अनुभव (यदि कोई है) की प्रतियां नगर निगम, करनाल में जमा करवाएगा।
2. बोलीदाता को किसी भी विभाग द्वारा ब्लैकलिस्ट ना किया गया हो, इस संबंध में प्रथम श्रेणी द्वारा सत्यापित ब्यान हल्फ प्रस्तुत करना होगा जिसमें बोलीदाता पुष्टि करेगा कि उसे किसी भी विभाग द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।
3. पुरानी सब्जी मंडी पार्किंग के लिए बोली की रिजर्व कीमत 6.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष (***GST Extra***) है तथा घंटाघर चौक स्थित पुराने कार्यालय भवन के स्थान पर बने पार्किंग स्थल के लिए रिजर्व कीमत 3.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष (***GST Extra***) है अर्थात् बोली क्रमशः 6.00 लाख रूपये व 3.00 लाख रूपये से आरम्भ होगी।
4. सब्जी मंडी पार्किंग स्थल के लिए 1.00 लाख रूपये व घंटाघर चौक स्थित पुराने कार्यालय भवन के स्थान पर बने पार्किंग स्थल के लिए 50,000/– रूपये की धरोहर राशी जमा करवानी होगी। यह धरोहर राशी डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा नकद रूप में बोली से एक दिन पूर्व नगर निगम, करनाल कार्यालय में जमा करवानी होगी। असफल बोलदाता को बोली समाप्ति उपरांत यह धरोहर राशी मौका पर ही वापिस लौटा दी जाएगी।
5. धरोहर राशी जमा करवाए बिना किसी भी व्यक्ति को बोली में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
6. सफल बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशी किरायेदारी समाप्ति तक नगर निगम, करनाल कोष में जमा रहेगा जोकि किरायेदारी की समयावधि समाप्त होने उपरांत बिना ब्याज के वापिस लौटाई जाएगी।
7. अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीदाता को कार्य अलॉट किया जाएगा जोकि अलॉटमैन्ट पत्र जारी करने की तिथि से वैध होगा।
8. सफल बोलीदाता को बोली की राशि का 25 प्रतिशत भाग बोली के सात दिन के अन्दर–अन्दर नगर निगम, करनाल में जमा करवाना होगा। वार्षिक बोली के 25 प्रतिशत भाग की राशि जमा होने उपरांत ही अलॉटमैन्ट पत्र जारी किया जाएगा तथा इस राशी को अन्तिम किश्त में एडजस्ट किया जाएगा।
9. सफल बोलीदाता कुल बोली मूल्य की राशी चार तिमाही किश्तों में वार्षिक एडवांस रूप में नगर निगम, करनाल में जमा करवाने का पाबन्द होगा तथा पहली तिमाही किश्त की राशी अलॉटमैन्ट की तिथि से 10 दिन के अन्दर–अन्दर इस कार्यालय में जमा करवाने का पाबन्द होगा। किश्त देरी से जमा करवाने की सूरत में 12 प्रतिशत ब्याज चार्ज किया जाएगा। यदि सफल बोलीदाता माह के अन्त तक तिमाही किराये की किश्त की अदायगी करने में विफल रहता है तो उसे सूरत में सफल बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि जब्त करते हुए किरायेदारी रद्द कर दी जाएगी।
10. आयुक्त, नगर निगम, करनाल को किसी भी स्टेज पर बिना कोई कारण बताए अधिकतम बोली स्वीकार करने अथवा बोली रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. यदि भविष्य में उपरोक्त पार्किंग स्थल के स्थान पर कोई अन्य प्रोजैक्ट बनाने हेतु नगर निगम, करनाल को इन पार्किंग स्थलों की आवश्यकता हुई तो उस सूरत में सफल बोलीदाता पार्किंग एक माह के नोटिस पर पार्किंग स्थलों को खाली करने का पाबन्द होगा।
12. उपरोक्त पार्किंग स्थल जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, के आधार पर किराये पर दिए जाऐंगे। इच्छुक बोलीदाता बोली से पूर्व मौका मुआयना कर सकते हैं तथा मौका की स्थिति

Scanned with CamScanner

अनुसार ही बोली लगाएं। बोली के दौरान अथवा बोली उपरांत किसी प्रकार की शिकायत अथवा मांग पर विचार नहीं किया जाएगा।

13. उपरोक्त किरायेदारी की अवधि अलॉटमैन्ट पत्र जारी होने की तिथि से एक वर्ष की लिए वैध होगी जोकि दोनों पक्षों की सहमति उपरांत वर्तमान किराये में 10 प्रतिशत वृद्धि उपरांत आगामी एक और वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।

14. सफल बोलीदाता सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए गए नियमों अनुसार जी. एस.टी. व अन्य सभी प्रकार के टैक्स अदा करने का पाबन्द होगा।

15. सफल बोलीदाता आयुक्त, नगर निगम, करनाल द्वारा दिए गए आदेशोंनुसार सरकारी, नगर निगम, करनाल तथा अन्य वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क भुगतान में छूट देने का पाबन्द होगा।

16. यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों अथवा तथ्यों में भविष्य में कुछ भी गलत पाया जाता है अथवा इस बोली की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है, तो आयुक्त, नगर निगम करनाल द्वारा किरायेदारी रद्द कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में बोलीदाता किसी भी प्रकार के मुआवजे या अपने द्वारा भुगतान की गई किसी अन्य राशि की वापसी का हकदार नहीं होगा।

17. पार्किंग स्थल में किसी भी प्रकार का फेरबदल करने अथवा ढांचा खड़ा करने के लिए सफल बोलीदाता को आयुक्त, नगर निगम, करनाल से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

18. आयुक्त, नगर निगम, करनाल व सफल बोलीदाता दोनों के पास दो माह के एडवांस नोटिस उपरांत किरायेदारी रद्द करने का विकल्प होगा।

19. किरायेदारी समाप्ति उपरांत सफल बोलीदाता को संबंधित पार्किंग स्थल अच्छी स्थिति में नगर निगम, करनाल को वापिस सौंपना होगा।

20. सफल बोलदाता पार्किंग क्षेत्र और उसके आस–पास की जगह को साफ, व्यवस्थित और अच्छी स्थिति में रखेगा। किरायेदारी की अवधि के दौरान वह इस जगह को खराब हालत में नहीं रहने देगा। वह पार्किंग क्षेत्र की दीवारों, फर्श या अन्य ढांचों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा और न ही कार्यालय आने वाले लोगों, कर्मचारियों या आम जनता के लिए किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा करेगा और इस संबंध में नगर निगम, नागरिक निकायों या अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए नियमों, विनियमों या उप–नियमों का पालन करेगा।

21. सफल बोलीदाता को बिजली और पानी के कनैक्शन की व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी और इनका खर्च भी उसे ही उठाना होगा। सफल बोलीदाता हर महीने बिजली, सीवरेज व पानी के बिलों की अदायगी संबंधित विभागों को करने पाबन्द होगा। ठेकेदार को बिजली की फिटिंग (लाइट आदि सहित) लगाने की अनुमति दी जा सकती है। पार्किंग स्थल में खड़े वाहनों की सुरक्षा और निगरानी के लिए सफल बोलदाता को अपने खर्च पर सी.सी.टी.पी. कैमरे लगवाने होंगे।

22. पार्किंग प्रबंधन के लिए सफल बोलीदाता द्वारा तैनात किए गए कर्मचारियों का व्यवहार आने–जाने वालों, आगंतुकों और स्टाफ के प्रति विनम्र और सहयोगपूर्ण होना चाहिए। कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के लिए सफल बोलीदाता व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि सफल बोलीदाता के कर्मचारियों के आचरण के कारण किसी चल या अचल सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुँचता है, तो उसकी भरपाई सफल बोलीदाता को स्वयं करनी होगी। यदि सफल बोलीदाता द्वारा नियुक्त किए गए किसी कर्मचारी का आचरण या काम संतोषजनक नहीं है, तो सफल बोलीदाता को उस कर्मचारी को हटाना होगा और शिकायत मिलने के 48 घंटों के भीतर उसकी जगह किसी नए कर्मचारी को काम पर रखना होगा।

Scanned with CamScanner

23. सफल बोलीदाता को पार्किंग क्षेत्र में हर वाहन के लिए जगह को स्पष्ट रूप से चिन्हित करना होगा और साथ ही ऐसे संकेत व साइन बोर्ड लगाने होंगे जो प्रवेश और निकास (***Entry & Exit***) की दिशा दर्शाते हों। वाहनों को व्यवस्थित ढंग से पार्क करना होगा और पार्किंग स्थल के भीतर वाहनों की आवाजाही के लिए रास्ते उपलब्ध करवाने होंगे।
24. सफल बोलीदाता को आने–जाने वालों व आगंतुकों की जरूरतों और सुविधा को ध्यान में रखते हुए पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी।
25. सफल बोलीदाता पार्किंग परिसर में सभी आवश्यक उपकरण रखने व उन्हें मैन्टेन रखने का पाबन्द होगा तथा सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वह पार्किंग स्थल से कोई भी वस्तु वहां से नहीं हटाएगा।
26. सफल बोलीदाता पार्किंग परिसर में कोई विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करेगा और ना ही पार्किंग स्थल के परिसर के अंदर या बाहर किसी भी हिस्से पर कोई होर्डिंग लगाएगा।
27. सफल बोलीदाता का पार्किंग स्थल व उसके परिसर में कोई अधिकार, हक या हित नहीं होगा और ना ही यह माना जाएगा कि उस पर उसका अनन्य कब्जा है। उसे केवल इस किरायेदारी की अवधि के दौरान पार्किंग स्थल का उपयोग करने की अनुमति होगी।
28. पार्किंग स्थल का पूर्ण नियंत्रण और पार्किंग क्षेत्र की देखरेख सफल बोलीदाता के पास रहेगी और नगर निगम, करनाल के निरीक्षकों या अधिकृत प्रतिनिधियों को पार्किंग स्थल के परिसर या उसके किसी भी हिस्से में कभी भी आने–जाने की अनुमति होगी।
29. किसी भी सरकारी कार्यक्रम, जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय कार्यक्रम हेतु सफल बोलीदाता को संबंधित पार्किंग स्थल निःशुल्क उपलब्ध करवाना होगा।
30. सफल बोलीदाता पार्किंग के संचालन के समय मौका पर अपना प्रतिनिधि तैनात करना होगा। इस काम के लिए सफल बोलीदाता केवल अपने नियमित कर्मचारियों और सुपरवाइजर को ही नियुक्त करेगा। सफल बोलीदता पार्किंग स्थल को आंशिक या पूर्ण रूप से किसी अन्य एजेंसी को आगे नहीं सौंपेगा अर्थात् सबलैट नहीं करेगा। उल्लंघना की स्थिति में धरोहर राशी जब्त करते हुए किरायेदारी रद्द कर दी जाएगी।
31. सफल बोलीदाता को मौका पर कार्य करने के लिए पर्याप्त मैनपॉवर रखनी होगी जिनके नाम व मोबाईल नम्बर भी बोर्ड पर अंकित करवाने होंगे।
32. सफल बोलीदाता वाहनों को केवल पार्किंग के लिए निर्धारित क्षेत्र में ही खड़ा करवाएगा तथा पार्किंग के लिए किसी अतिरिक्त जगह पर कब्जा नहीं किया जाएगा। पार्किंग स्थल में किसी भी तरह की अन्य गतिविधि जैसे रेहड़ी–फड़ी वाले, फेरीवाले या किसी भी प्रकार के सामान बेचने वालों को अनुमति नहीं होगी। अतिरिक्त जगह पर अतिक्रमण करने पर 10,000/– रुपये प्रति घटना की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। यदि अतिरिक्त जगह पर बार–बार अतिक्रमण किया जाता है, तो धरोहर राशी जब्त करते हुए किरायेदारी रद्द कर दी जाएगी।
33. यदि सफल बोलीदाता पार्किंग परिसर को साफ नहीं रखता है, जनता या कार्यालय के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, निर्धारित दरों से अधिक शुःल्क लेता है, अतिक्रमण करता है, पार्किंग की जगह का उपयोग पार्किंग के अलावा किसी अन्य काम के लिए करता है, या वह या उसका कोई कर्मचारी किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होता है, तो उस पर उचित जुर्माना लगाया जाएगा। बार–बार नियमों का उल्लंघन होने और स्थिति में कोई सुधार ना होने की सूरत में आयुक्त, नगर निगम, करनाल द्वारा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करते हुए किरायेदारी रद्द कर दी जाएगी।
34. सफल बोलीदाता को मुख्य स्थानों पर आपातकालीन टेलीफोन नंबर जैसे फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, एम्बुलेंस आदि और पार्किंग से संबंधित साइन बोर्ड प्रदर्शित करने होंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए, आपातकालीन स्थिति में सहायता हेतु उसे संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क करना होगा।

Scanned with CamScanner

35. सफल बोलीदाता अपने कर्मचारियों के संबंध में ***Labour Law*** का पालन करने का पाबन्द होगा। अपने कर्मचारियों के लिए सफल बोलीदाता ही एम्प्लॉयर माना जाएगा। सफल बोलीदाता और उसके कर्मचारियों के बीच होने वाले किसी भी विवाद के लिए नगर निगम, करनाल किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसे सभी विवादों को सफल बोलीदाता द्वारा अपने स्तर पर सुलझाना होगा।

36. बोली (बिड) की राशि में ***GST*** या अन्य कर शामिल नहीं होंगे। लागू दरों के अनुसार इन करों को चुकाने की पूरी जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि बोलीदाताओं द्वारा दी गई बोली राशि में ये कर शामिल नहीं होने चाहिए।

37. इस किरायेदारी से जुड़ा कोई भी विवाद आयुक्त, नगर निगम, करनाल द्वारा सुलझाया जाएगा।

38. निम्नलिखित दरों के अलावा सफल बोलीदाता कोई अतिरिक्त पार्किंग शुल्क चार्ज नहीं करेगा:—

Sr. No.	Type of Vehicle	Parking upto 06 Hours (In Rs.)	Upto 12 Hours	Upto 24 Hours	Monthly Passes
1	Car/Taxis/Jeep (Four Wheelers)	Rs. 20/-	Rs. 40/-	Rs. 80/-	Rs. 1,600/-
2	Scooter/Motor Cycle/Auto Rickshaw/Three Wheelers	Rs. 10/-	Rs. 20/-	Rs. 40/-	Rs. 750/-

आयुक्त,
नगर निगम, करनाल।

Scanned with CamScanner